वित्त निर्देश 11/2013

# छत्तीसगढ़ शासन
# वित्त एवं योजना विभाग
# महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

क्रमांक 1594/F-01000948/ब–4/चार रायपुर, दिनांक 25/03/2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़।

विषय :– समेकित निधि से धन आहरण कर बैंक खाते में रखे जाने के लेखांकन के संबंध में।

संदर्भ :– वित्त विभाग का परिपत्र 270/वित्त/ब–4/चार/2012 दिनांक 12.06.2012 (वित्त निर्देश41/2012)

---

कृपया संदर्भित परिपत्र का अवलोकन हो। राज्य शासन के संचित निधि से अग्रिम आहरण कर बैंक खाते में जमा की गई राशि के संबंध में संदर्भित परिपत्र द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया था। जमा की गई राशि एवं उसके आहरण के संबंध में छत्तीसगढ़ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा दिये गये सुझाव अनुसार निम्नानुसार लेखांकन प्रणाली लागू करने का कष्ट करें:–

2. पूर्व वर्षो में संचित निधि से आहरित राशि चालू वर्ष में जमा किये जानें के संबंध में

2.1 संचित निधि से आहरित तथा व्यय नहीं की गई राशि का राजस्व प्राप्ति शीर्ष में जमा किये जाने से वर्ष के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्ति में वृद्धि दर्शित होती है। यह लेखांकन प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है । इसे राजस्व व्यय शीर्ष से कमी **(Reduction of Expenditure)** किया जाकर दर्शाया जाए। मार्च 2013 तक इस प्रक्रिया के अनुसार राजस्व शीर्ष में जमा की गई राशि के चालानों की प्रति तथा व्यय शीर्ष जिससे आहरित की गई थी, वर्ष, योजना शीर्ष, की संपूर्ण जानकारी 30 अप्रैल 2013 तक वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाए एवं वर्ष 2012–13 के लेखे में इन राशियों को संबंधित मुख्य शीर्ष के कुल व्यय से कम किया जा कर लघु शीर्ष 911 के अंतर्गत ऋणात्मक राशि दर्शाया जाए।

2.2 केन्द्रीय योजनाओं की व्ययीत राशियां जिन्हें बैंक खाते से निकालकर मुख्य शीर्ष 8443–के–डिपाजिट में जमा की गई हो, का उपयोग संबंधित योजना/कार्य में ही किया जाना सुनिश्चित करें।

3. चालू वर्ष में आहरित तथा जमा की गई राशि के संबंध में–

राज्य की योजनाओं के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में आहरित एवं व्यय नहीं की गई राशि को शासकीय लेखे में वापस जमा किये जाए एवं इस राशि को संबंधित मुख्यशीर्ष के अंतर्गत संबंधित योजना शीर्ष से कम किया जावें ।

(डी.एस. मिश्र)
अपर मुख्य सचिव
वित्त विभाग

पृष्ठां. क्रमांक / 1595 / **F-01000948** / ब–4 / चार, नया रायपुर, दिनांक 25 मार्च, 2013

प्रतिलिपि :–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री / राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. अपर मुख्य सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर ।
14. समस्त सचिव / विशेष सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / शोध अधिकारी / विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
15. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
16. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला / सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर / बिलासपुर, छत्तीसगढ़
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
22. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ मंत्रालय, रायपुर
23. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट **www.cgfinance.nic.in** में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(प्रशांत लाल)
शोध अधिकारी
वित्त विभाग